Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to issue caste certificate to people belonging to 'Dhangar' caste-laid.

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): असल में धनगर आरक्षण का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में 36वे क्रमांक पर "धनगड" नाम दर्ज है जबकि "धनगड" नाम की कोई भी जाति या जनजाति महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं है ।

इसी के आधार पर महाराष्ट्र में "माना" और "गोवारी" समाज को न्यायालय के द्वारा न्याय मिल चुका है । "गोंडमाना" और "गोंडगोवारी" नाम महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज थे जबकि इस नाम की जनजातियां महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं थीं । न्यायालयों ने "गोंडमाना" की जगह "माना" तथा "गोंडगोवारी" की जगह "गोवारी" को जनजाति मानते हुए उनको जनजाति के प्रमाणपत्र देने के आदेश दिए हैं । बिल्कुल ऐसा ही मामला धनगर जनजाति का भी है । "धनगड" के अस्तित्वहीन होने की बात मुंबई न्यायालय के सामने राज्य सरकार खुद मान चुकी है ।

इसलिए मेरा निवेदन है "धनगड" की जगह धनगर को अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र दिये जाएं ।